प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाण	प्रार्थी
2. श्री संदीप सैन	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25/5/26

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि –यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वहीं है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित है। यह कि मिन प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल जी डब्लयू के खाता सं. 124/108 के प.नं. 12/290 के मु.नं. 31 के किला नं. 2 ता 5 की कुल 1.012 हैक नहरी राजस्व दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सलग्नं प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल जी डब्लयू के खाता सं. 138/120 के प.नं. 12/290 के मु.नं. 31 के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 8, 9, 10/1/0.228, 10/2/0.025 व प.नं. 13/290 के मु.नं. 32 के किला नं. 1 की कुल 1.265 है. नहरी मय गैर मु. रास्ता राजस्व दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

4. यह कि मिन प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि के चक 12 एल जी डब्लयू प.नं. 12/290 के किला नं. 2 ता 5 में प्रार्थीगण अपने गांव लिखमीसर से आता हुआ पक्की रोड़ से चक 12 एल जी डब्लयू प.नं. 12/290 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में गैर मु. रास्ता प्रत्येक बीघे में 0.025 हैक. रास्ता जो स्वीकृतशुदा है व जिस पर पक्की रोड़ बनी हुई है से आता हुआ चक 12 एल जी डब्ल्यू के प.नं. .12/290 के किला नं. 1 में पश्चिम दिशा में बनी पक्की सड़क से किला नं. 1 तक पहुचंता हूं जिससे मिन प्रार्थी अपनी कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की

दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिए व अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य करने व कृषि कार्य के लिए संयंत्र लाने ले जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि के चक 12 एल जी डब्लयू के प.नं. 12/290 के किला नं. 1 में 0.025 हैक. उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रहे रास्ता अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता आ रहा हूं लेकिन अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए प.नं. 12/290 के किला नं. 1 में 0.025 हैक. रास्ता को बंद कर देते है जिससे मिन प्रार्थी का आवागमन बंद हो जाता है, अब मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा गेहूं की फसल की बिजाई कर रास्ता को बंद कर दिया है जिससे मिन प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि में आना जाना मुश्किल हो गया है इस कारण मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के व्यवहार व उनके द्वारा यह जानते हुए कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के प.नं. 12/290 के किला नं. 2 ता 5 में आने जाने के लिए व अपनी कृषि भूमि में काश्त करने हेतु समस्त कृषि औजार प.नं. 12/290 के किला नं. 1 में चल रहे रास्ता के अलावा और कोई वैकल्पिक व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं है अप्रार्थीगण द्वारा इस वैकल्पिक व सुविधाजनक मार्ग को बंद करने से मिन प्रार्थी का रास्ता अवरूध हो गया है। मिन प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प.नं. 12/290 के किला नं. 1 में 0.025 हैक. उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रहे रास्ता जिसको अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर बंद करवा दिया है के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक सुगम व सुविधाजनक व अत्यांन्तिक रास्ता उपलब्ध नहीं है इस कारण मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के चक 12 एल जी डब्लयू के प.नं. 12/290 के किला नं. 1 में 0.025 हैक. में उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रहे घरेलु रास्ता को स्वीकृत करवाने के अधिकारी है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से चक 12 एल जी डब्लयू के प.नं. 12/290 के किला नं. 1 में 0.025 हैक. उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा रास्ता स्वीकृत करवाने की एवज में मिन प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि 0.025 हैक. की एवज में डी एल सी राशि की दुगना राशि देने के लिए सहमत है। यह कि अप्रार्थी सं. 3 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि उचित न्याय शूल्क पर प्रस्तुत है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के चक 13 एल जी डब्लयू के प.नं. 12/290 के किला नं. 1 में 0.025 हैक. में उतर दिशा मे पूर्व से पश्चिम दिशा में घरेलु रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है जिसके रास्ते की एवज में मिन प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि 0.025 हैक. की एवज में डी एल सी राशि की दुगना राशि देने के लिए सहमत है इस कारण मिन प्रार्थी चक 12 एल जी डब्लयू के प.नं. 12/290 में किला नं. 1 में 0.025 हैक. में उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में रास्ता को स्वीकृत करवाने का अधिकारी है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को तामिल हेतु नोटिस जारी किया गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप सैन हाजिर आये अनैक अवसर प्रदान करने पर भी जवाब पस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बंद किया गया था जिसे जवाब हेतु अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीपी बाद निर्णय स्वीकार होने पर जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रस्तुत किया गया है

जवाब प्रार्थना पत्र –अप्रार्थी सं. 1 व 2 निम्न प्रकार है– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पता से सम्बधिंत है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व

अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य मनगढंत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी ने कभी भी इस रास्ता का इस्तेमाल आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है ना ही कभी भी यह रास्ता चालु रहा है जब कभी उक्त रास्ता चला ही नही तो उसको बन्द करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने झूठे कथन अंकित किये है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि चक 12 एल. जी. डब्लयु. के प. न. 13/290 के कि.न. 1 की भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 आपसी सहमति से तबादला कर रहे थे ताकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि एकल हो जाये तथा भविष्य में कोई विवाद ना रहे जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 एक दूसरे को अपनी अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की सुविधा देने के लिए भी तैयार थे तथा रास्ता की एवज में एक दूसरे को रास्ता की भूमि के बदले उतनी ही भूमि देने को तैयार थे परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने लालच के वशीभूत होकर रास्ता के बदले भूमि देने से इन्कार कर दिया तथा श्रीमान न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसमें झुठे तथ्य दर्ज किये है जो नाकाबिल स्वीकार के है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए रास्ता की भूमि के बदले उतनी ही भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज करवाकर रास्ता स्वीकृत करवाये।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानुनी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले उतनी ही भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2के नाम दर्ज की जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक 134 दिनांक 06.04.26 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार –प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नही है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि रास्ते के अलावा अन्य है स्वीकृतशुद्धा रास्ता मौके पर राजस्व रिकॉर्ड नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कम दूरी का नही है। प्रार्थी के पास मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के चक 13 एल जी डब्लयू के प.नं. 12/290 के किला नं. 1 में 0.025 हैक. में उतर दिशा मे पूर्व से पश्चिम दिशा में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन नहीं किया जाकर प्रतिकर के रूप में भूमि के बदले भूमि की शर्त पर रास्ता स्वीकृत हेतु कथन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वैल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रश्नगत रकबा में उभय पक्ष को रास्ता की एवज में भूमि के बदल भूमि प्रतिकर के रूप में देने में सहमति नहीं होने के कारण डिएलसी की दूगना राशि के आदेश पारित किये जाते है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर साबित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के चक 13 एल जी डब्लयू के प.नं.

12 / 290 के किला नं. 1 में 0.025 हैक. में उत्तर दिशा मे पूर्व से पश्चिम दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है प्रतिकर के रूप में डिएलसी की दूगना राशी प्रार्थी से खजाना राज में जमा करवाया जाकर तहसीलदार पीलीबंगा नियमानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 25/5/26 सुनाया गया।

(उषा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा